NSW GOVERNMENT | Victims Services
Attorney General & Justice

चार्टर ऑफ विक्टिम राइट्स

((विकटिम्स राइट्स ऐंड सपोर्ट ऐक्ट 2013)

Hindi/हिंदी

यदि आप किसी अपराध के शिकार हुए/हुई हैं तो आपके पास अधिकार हैं। इन अधिकारों को चार्टर ऑफ विक्टिम्स राइट्स कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित उक्त है:

सम्मान

आपके साथ सम्मान, गरिमा और सहानुभूति सहित बर्ताव किया जाएगा। हर समय आपकी संस्कृति का सम्मान किया जाएगा।

सेवाओं के बारे में जानकारी

आपको यथासंभव जल्द से जल्द उन विभिन्न सेवाओं के बारे में बताया जाएगा जो आपकी सहायता कर सकती हैं। इसमें काउंसिलिंग (परामर्श सेवा) और कानूनी सेवाएं शामिल हैं।

सेवाओं तक पहुँच

यदि आपको मेडिकल (चिकित्सीय), काउंसिलिंग (परामर्श) और कानूनी सहायता की आवश्यकता हो, तो उपलब्ध होने पर आप उसे प्राप्त कर पाएंगे/पाएंगी।

अपराध की छान-बीन की जानकारी

आपके द्वारा पूछे जाने पर आपको बताया जाएगा कि पुलिस की छान-बीन किस प्रकार चल रही है। परंतु कुछ परिस्थितियों में शायद कुछ ऐसी चीजें हों जो पुलिस आपको नहीं बता सकती है।

मुकदमे की जानकारी

अपराध के लिए अपराधी को न्यायालय में ले जाने को मुकदमा कहते हैं। यह काम पुलिस के द्वारा किया जाता है अथवा गंभीर मामलों में यह डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन द्वारा किया जाता है।

अपराध के शिकार होने के नाते, आपसे निम्नलिखित कहा जाएगा:

- अभियोग क्या हैं अथवा अपराधी पर कोई अभियोग क्यों नहीं लगाए गए हैं;
- अभियोग को बदलने या उन्हें त्यागने से संबंधित प्रॉसिक्यूशन पक्ष (अभियोग लगाने वाला पक्ष) के कोई भी निर्णय;
- न्यायालय की सुनवाई का दिन और स्थान;
- न्यायालय का अंतिम निर्णय, जिसमें कोई भी अपील या कारावास की दी गई सजा शामिल है।

यदि अभियोजन पक्ष अभियोग को बदलने अथवा उन्हें त्यागने के विषय पर गौर कर रहा है, तो वह आपसे बात करेगा यदि वह अपराध:

- कोई गंभीर यौन-अपराध था, अथवा
- उसके कारण आपको शारीरिक, मानसिक या मनोविकारी हानि पहुँची है।

परंतु अभियोजन पक्ष को आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, यदि:

- आप उस विषय पर बात नहीं करना चाहते/चाहती हैं, अथवा
- वे आपको ढूँढ न पाएं।

गवाह बनने के बारे में जानकारी

यदि किसी मुकदमे में आपको गवाह के रूप में गवाही देने की आवश्यकता हो, तो आपको बताया जाएगा कि मुकदमे की कार्य-पद्धति को किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है और आपको क्या करना होगा।

अपराधी के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं

आपके मुकदमे के न्यायालय में रहने के दौरान आपको अपराधी और अपराधी के गवाहों के संपर्क से सुरक्षित रखा जाएगा।

आपकी गोपनीयता की रक्षा

यदि न्यायालय कोई भिन्न बात न कहे, तो आप अपने पते और फोन नंबर को गोपनीय रख सकते/सकती हैं।

मुकदमे से पहले न्यायालय का काम

मुकदमे से पहले आपको किसी भी कमिटल सुनवाई (एक छोटे मुकदमे की भांति) अथवा न्यायालय के अन्य कामों के लिए तब तक जाने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि न्यायालय न कहे कि आपके लिए वहाँ उपस्थित रहना अनिवार्य है।

सबूत के रूप में आपके द्वारा प्रयुक्त किसी भी चीज को वापस लौटाना

यदि पुलिस अथवा अभियोजन पक्ष ने सबूत के रूप में आपकी कोई भी चीज ली हो, तो आपके पास यह अधिकार है कि आप यथासंभव जल्द से जल्द उसे वापस प्राप्त करें।

आपकी सुरक्षा

यदि आपको सुरक्षा की आवश्यकता हो, तो अपराधी द्वारा जमानत के लिए अनुरोध किए जाने पर पुलिस अथवा अभियोजन पक्ष को यह बात बताएं।

जमानत संबंधी विशेष शर्तें

अपराधी को दी गई जमानत से जुड़ी किन्हीं भी विशेष शर्तों के बारे में आपको सूचित किया जाएगा, जो आपको या आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए निर्धारित की गई हैं, जैसेकि कोई ऐसी शर्त जो कहे कि अपराधी आपसे संपर्क नहीं कर सकता है।

जमानत का निर्णय

यदि आप किसी यौन आक्रमण अथवा किसी अन्य गंभीर आक्रमण के/की शिकार हुए/हुई हैं, तो आपको बताया जाएगा कि अपराधी को जमानत मिली है या नहीं\

शिकार व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का कथन (विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट)

कुछ परिस्थितियों में आप शायद न्यायालय को यह बता सकते/सकती हैं कि इस अपराध ने आपको किस प्रकार से प्रभावित किया है और ऐसा करने के लिए आपको मदद और सहायता भी दी जाएगी। इसे ''विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट' देना कहा जाता है।

जब अपराधी को रिहाई मिलती है

यदि अपराधी कारावास में है तो आपको सूचित किया जाएगा कि उस अपराधी को जल्द ही कारागार से रिहा किया जाएगा, यदि वह कारागार से भाग गया है अथवा यदि वह दिवस-कालीन रिहाई पर है।

जब अपराधी पैरोल के लिए आवेदन करता है

यदि आपका अपराधी पैरोल के लिए आवेदन करता है, तो आप उसमें अपनी राय व्यक्त कर पाएंगे/पाएंगी।

आर्थिक सहायता

यदि किसी गंभीर निजी अत्याचार रूपी आपराधिक कार्य हेतु आप क्षतिग्रस्त हुए/हुई हैं, तो आप शायद आर्थिक सहायता के लिए योग्य हो सकते/सकती हैं।

शिकायत करने की पद्धति के बारे में जानकारी

यदि आपको ऐसा लगता है कि चार्टर के अंतर्गत आपको मिलने वाले अधिकारों को पूरा नहीं किया गया है, तो आप शिकायत कर सकते/सकती हैं और ऐसा करने की पद्धति के बारे में जानकारी मांग सकते/सकती हैं।

यदि आप किसी अपराध के शिकार हुए/हुई हैं, तो आपके पास अधिकार हैं

जानकारी और सहायता के लिए 1800 633 063 पर विक्टिम्स ऐक्सेस लाइन को कॉल करें।

चार्टर ऑफ विक्टिम्स राइट्स

यदि आप किसी अपराध के शिकार हुए/हुई हैं, तो आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने और उन्हें बढ़ावा देने हेतु न्यू साउथ वेल्स में चार्टर ऑफ विक्टिम्स राइट्स है। यह चार्टर एनएसडब्ल्यू के सभी सरकारी विभागों पर लागू होता है। यह उन सभी गैर-सरकारी एजंसियों और संविदाकारों (प्राइवेट कानूनी अधिकारी और मेडिकल पेशेवरों के अलावा) पर भी लागू होता है जो राष्ट्र द्वारा निधिबद्ध हैं और जो अपराध के शिकार व्यक्तियों को सहायता प्रदान करते हैं। यह चार्टर बताता है कि यदि आप किसी अपराध के/की शिकार हों तो आपसे किस प्रकार का बर्ताव किया जाना चाहिए और कैसी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यह चार्टर *विक्टिम्स राइट्स ऐंड सपोर्ट ऐक्ट 2013 के अंतर्गत उल्लिखित* है।

कौन अपराध का शिकार होता है?

विक्टिम्स राइट्स ऐंड सपोर्ट ऐक्ट 2013 के अनुसार शिकार होने वाला व्यक्ति वह है जो किसी आपराधिक अपराध के प्रत्यक्ष परिणाम हेतु क्षतिग्रस्त हो।

यदि मुझे ऐसा लगे कि चार्टर के अंतर्गत मेरे अधिकारों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

1. आपको उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए जिसके साथ आप इस समस्या पर काम कर रहे/रही हैं। साधारणतः इसी तरह से समस्या का समाधान किया जाता है।
2. यदि आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास यह अधिकार है कि आप उस व्यक्ति से पूछें कि उनके विभाग के पास किस प्रकार से शिकायत की जा सकती है। यदि आवश्यकता हो, तो विभाग दुभाषिए अथवा अन्य सहायता का बंदोबस्त कर पाएगा। शिकायत करने के लिए आपको एक सहायक व्यक्ति मिल सकता है। यह कोई दोस्त या कर्मी हो सकता/सकती है।
3. विभाग द्वारा शिकायत पर गौर किए जाने के बावजूद यदि आप फिर भी संतुष्ट न हों, तो आप विक्टिम्स सर्विसेज़ से संपर्क कर सकते/सकती हैं। आपकी शिकायत में आपकी सहायता करना और उसके बारे में क्या किया जा सकता है यह आपको बताना उनका काम है।

संपर्क विवरण

फोन 1800 633 063
सिडनी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र .... (02) 8688 5511
आदिवासी संपर्क लाइन 1800 019 123
फैक्स .... (02) 8688 9632
घंटे .... सुबह 8.00 बजे से लेकर शाम के 6.00 बजे तक, सोम से शुक्र (सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा)
ईमेल .... vs@agd.nsw.gov.au
वेबसाइट .... www.lawlink.nsw.gov.au/vs
सभी डाक इन्हें संबोधित करें .... The Commissioner, Victims Services, Locked Bag 5118, Parramatta NSW 2124

© विक्टिम्स सर्विसेज के माध्यम से न्यू साउथ वेल्ज राज्य, एनएसडब्लू डिपार्टमेंट ऑफ अटोरनी जनरल एंड जस्टिस, जून 2003 (संशोधित जुलाई 2013)। निजी, शैक्षिक और सरकारी उद्देश्य हेतु इस काम को स्वच्छंद रूप से पुनःप्रस्तुत किया जा सकता है। किन्हीं भी अन्य प्रयोगों के लिए विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता है।

इस जानकारी के वैकल्पिक संरूप उपलब्ध हैं।

सामान्य जानकारी के उद्देश्य हेतु इस दस्तावेज को विक्टिम्स सर्विसेज़ द्वारा तैयार किया गया है।

ISBN 978 1 922121 22 6 (FS10f • 07/2013)